



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ सब बढ़े

13, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता -700016 (पश्चिम बंगाल)
13, Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax : 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone : 033 - 22875732/33/34
ई-मेल/e-mail : wbs.gdc.soi@gov.in






भारतीय सर्वेक्षण विभाग
Survey of India
पश्चिम बंगाल व सिक्किम
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
W.B. & SIKKIM GEO-
SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता KOLKATA

पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के नेमी आदेश सं. **05 /37-जी-11**
दिनांक **19.06.2023**

**West Bengal & Sikkim G.D.C., Kolkata's Routine Order No. 05 /37-
G-11
dated 19.06..2023**

1. सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति
PROMOTION TO THE POST OF ASSISTANT ON REGULAR BASIS

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 16.06.2023 के पत्र सं. सी-2314/1354(सहायक/एच.सी.) के अनुसार निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक (ग्रुप 'सी' मिनिस्टीरियल पद) को सहायक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित मिनिस्टीरियल पद) के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में उनके नाम के सम्मुख वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

As per S.G. Letter No. सी-2314/1354(सहायक/एच.सी.) dated 16.06.2023 the undermentioned Upper Division Clerk (Gr. 'C' Ministerial Post) is hereby promoted to the post of Assistant (Gr. 'B' Non-Gazetted Ministerial Post) on regular basis in the level 6 of Pay Matrix with effect from the date shown against the name below:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	जिस पद पर पदोन्नति की जाती है Post to which promoted	वेतन मैट्रिक्स में लेवल Level in Pay Matrix	लागू होने की तिथि Date of effect	प्राधिकार Authority
1	श्री ऋचीक कुंडू Shri Richik Kundu	सहायक Assistant	लेवल 6 Level 6	16.06.2023	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.सी-2314/1354 (सहायक/ एच.सी.) दिनांक 16.06.23

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him

iii) सम्बंधित सरकारी कर्मचारी को एफ.आर. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन मैट्रिक्स के नए लेवल में उनका वेतन नियतन किया जाएगा।

The concerned government servant is required to exercise an option under FR (22)(I)(a)(1) on that basis Head of Office will fix his pay in the new level of Pay Matrix.

iv. इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय पश्चिम बंगाल व सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नामे किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from the allotted budget grant for the Financial Year 2023-24 of WB & Sikkim GDC, Kolkata and debited to the appropriate Head of Account

2. दण्ड में संशोधन / REVISION OF PUNISHMENT

i. केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून द्वारा पत्र सं. विज-6236/1196-पी.एफ(समीर संतरा)) दिनांक 22 सितम्बर 2022 के तहत श्री समीर संतरा, अधिकारी सर्वेक्षक (आरोपी अधिकारी) पर द्वारा लगाए गए एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या एस.एम/23/01/2023 (ई-43347) दिनांक 03.02.2023 के अंतर्गत पुष्टि किये गए दंड को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण आदेश संख्या एस.एम/23/01/2023 (ई-43347) दिनांक 22-05-2023 के अंतर्गत जारी आदेश द्वारा निम्न सीमा तक कम किया जाता है:

In exercise of the powers conferred under Rule 29 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965, the Appellate Authority, reduces the penalty imposed by the Disciplinary Authority upon Shri Samir Santra, Officer Surveyor (the Charged Officer) issued vide Surveyor General of India, Dehraun's letter No. Vig-6236/1196-PF(Samir Santra) dated 22 September 2022 and confirmed by the Appellate Authority vide order No SM/23/01/2023 (E-43347) dated 03.02.2023 and Revision Order No. SM/23/01/2023 (E-43347) dated 22.05.2023, to the following extent:-

a. परिनिंदा /Censure.

b. श्री समीर संतरा अधिकारी सर्वेक्षक केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (एल टी सी) नियमों के नियम 16 (1) और 16 (2) के तहत पूर्ण एल.टी.सी. ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के लिए स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए एल.टी.सी. का दावा करने से वंचित होंगे, अर्थात एक गृहनगर के लिए और एक भारत में किसी भी स्थान के लिए।

Shri Samir Santra, Officer Surveyor under Rule 16(1) & (2) of CCS(LTC) Rules shall also be debarred from claiming LTC for self and family members for full LTC block year 2022-2025 i.e one to home town & one to any place in India.

ii. अतः इस कार्यालय के नेमी आदेश क्रमांक 02/37-G-11 दिनांक 13.04.2023 के पैरा 3(A) को निरस्त माना जाए।

Hence, Para 3(A) of this office Routine Order No 02/37-G-11 dated

13.04.2023 may be treated as **CANCELLED.**

(प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून का पत्र संख्या विज-196/1196-पी.एफ(समीर संतरा)) दिनांक 26 मई 2023.

Authority: Surveyor General of India, Dehraun's letter No. Vig-196/1196-PF(Samir Santra) dated 26 May 2023).

Signed by Uday Shanker
Prasad
Date: 21-06-2023 18:20:06
Reason: Approved

(उदय शंकर प्रसाद / Uday Shanker
Prasad)
निदेशक /
Director
पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी,
कोलकाता
W.B. & Sikkim GDC, Kolkata

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन व लेखा कार्यालय, कोलकाता।
4. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. फाईल - सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
7. नोटिस बोर्ड।